भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2175
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायपालिका में समावेशिता

2175. श्री राहुल गांधीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च न्यायपालिका में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की जा रही हैं ;

(ख) वर्ष 2019 से अब तक उच्च न्यायालयों में नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित और अल्पसंख्यक तथा महिला न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । अत:, उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रुप् से अनुरक्षित नहीं किया जाता । 2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों को, विहित रुप विधान (उच्चतम न्यायालय

के परामर्श से तैयार) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरा उपबंध करना अपेक्षित है । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के अनुसार, 2018 से 28.07.2025 तक नियुक्त किए गए 753 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 24 अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, 17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, 93 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग से संबंधित है तथा 42 अल्पसंख्यंक समुदायों से संबंध रखते हैं । उसी अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में 117 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं ।

प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है, जबकि, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आंरभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम-अवर न्यायाधीशों के परामर्श से, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है । तथापि, सरकार ने उच्च् न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अनुरोध किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजने के दौरान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यको तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभर्थियों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए, ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित किया जा सके । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया जाता है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलिजीयम द्वारा सिफारिश की जाती है ।

(ग) और (घ) : उच्च न्यायालयों में कर्मचारीवृंद की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 229(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में की जाती है, जो उपबंध करता है कि "*न्यायालय के अधिकारियों और सवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए*" ।

****